

18/03/24

पत्रावली पेश। वादीगण वकील उपस्थित।
प्रतिवादी सं. 1 व 2 के वकील अनु०। वादीगण
वकील वाद को भागे नहीं चलाना चाहते
हैं, इसलिए वादीगण वकील ने पत्रावली
में Not-press किया। वादीगण वकील
द्वारा Not press करने से वादीगण का
वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली
मुहम्मद सुमार होंकर वाजिल सदर हो। रिपय
ले कर हो।

सहायक कलेक्टर
फास्ट ट्रेक चौहटन

~~Not Press~~

Q
C वाद को चला
नी चाहा

